प्रकाशन हेतु अनुमोदित

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 61/2005

आवेदक:	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भिलाई, दुर्ग,
[प्रतिवादी क्रमांक 3]	द्वारा शाखा प्रबंधक, बिलासपुर (छ.ग.)

–बनाम–

उत्तरदाता : 1	श्री लंकेश कुमार बैस, 24 वर्ष पिता श्री चैतराम,
[दावेदार]	निवासी ग्राम – टूटा, तहसील व जिला– रायपुर (छ.ग.)
उत्तरदाता : 2	श्री राम राजपूत, 30 वर्ष, पिता श्री दामो राजपूत
[प्रतिवादी क्रमांक 1]	
उत्तरदाता : 3	श्री दामो राजपूत, 50 वर्ष, पिता श्री शुक्र राजपूत
[प्रतिवादी क्रमांक 2]	निवासी – रेलवे कॉलोनी, मंदिर हसौद, तहसील और जिला–रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन सिविल पुनरीक्षण

13–6–2005

आवेदक [न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड] के सिविल पुनरीक्षण संख्या 61/2005, 63/2005 और 64/2005 में अधिवक्ता: श्री प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री विनय पांडे, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से कोई नहीं।

अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी ने दिनांक 10–2–2005 के एक ही अधिनिर्णय द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 454/2004, 455/2004 तथा 457/2004 का निराकरण किया तथा आवेदक द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के विरुद्ध संबंधित दावेदारों को दावा प्रकरण क्रमांक 454/2004 में रुपए 2,000/– दावा प्रकरण क्रमांक 455/2004 में रुपए 3,000/– तथा दावा प्रकरण क्रमांक 457/2004 में रुपए 3,500/– का प्रतिकर प्रदान किया तथा उक्त अधिनिर्णय से व्यथित होकर आवेदक द्वारा सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 61/2005, 63/2005 एवं

64/2005 प्रस्तुत किया गया। अतः इन सभी पुनरीक्षणों को ग्राह्यता पर और सभी लंबित अंतवर्ती आवेदनों एवं विविध (सिविल) याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई किया गया।

उचित विचार–विमर्श के बाद, दिनांक 10–2–2005 के आक्षेपित अधिनिर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करने के लिए अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 1317/2005, 1430/2005 और 1431/2005 को स्वीकार की जाती है। आवेदक ने तर्क दिया कि आक्षेपित अधिनिर्णय के अधीन दावा न्यायाधिकरण ने 10,000/– रुपये से कम प्रतिकर स्वीकार किया है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अधीन अपील वर्जित है, इसलिए उन्होंने अधिनिर्णय के विरुद्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन ये पुनरीक्षण प्रस्तुत किए हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115(1) का सुसंगत भाग इस प्रकार है: –

> **115. पुनरीक्षण–**
>
> (1) उच्च न्यायालय किसी भी ऐसे मामले के अभिलेख को मंगवा सकेगा जिसका ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय से विनिश्चय किया है और जिसकी कोई भी अपील नहीं होती है और यदि यह प्रतीत होता है कि –
>
> xxx xxx xxx"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालयों की अधीनस्थता को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: –

> **3. न्यायालयों की अधीनस्थता–**
>
> इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है और जिला न्यायालय से अवर श्रेणी का हर सिविल न्यायालय और हर लघुवाद न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के अधीनस्थ है।

उपर्युक्त दोनों उपबंधों को पढ़ने मात्र से पता चलता है कि, उच्च न्यायालय व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है, जब चुनौती के अधीन आदेश सिविल न्यायालय या लघु वाद न्यायालय द्वारा पारित किया गया हो।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 165 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा दावा न्यायाधिकरणों का गठन किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय XI। में दावा न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है और

दावा न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील के प्रावधान भी दिए गए हैं। न तो दावा न्यायाधिकरणों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के किसी भी प्रावधान के अधीन सिविल कोर्ट घोषित किया गया है और न ही उक्त अधिनियम उच्च न्यायालय को किसी भी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का अधिकार देता है। यहां तक कि नियम बनाने के लिए सशक्त राज्य सरकार ने भी, यद्यपि नियम बनाए हैं, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 को दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित किसी भी अधिनिर्णय पर लागू नहीं किया है और केवल व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान, जो मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों पर लागू हैं, मप्र के नियम 240 में वर्णित किए गए हैं। मोटर वाहन नियम, 1994. उक्त नियमों का नियम 240 इस प्रकार है:–

> 240. जांच करने में दावा अधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।
>
> – सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग; अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित प्रावधान, अर्थात् आदेश V, नियम 9 से 13 और 15 से 20, आदेश IX, आदेश XVIII, नियम 3 से 10, आदेश XVI, नियम 2 से 21, आदेश XVII, आदेश XXI और आदेश XXIII, नियम 1 से 3 में निहित प्रावधान, दावा न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे, जहां तक वे उस पर लागू हो सकते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित रुपये 10,000/– तक के अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील पर अपवर्जन है, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 या इसके अधीन बनाए गए नियम, 1994 के अधीन ऐसे अधिनिर्णय के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को नहीं दी गई है और न ही उक्त प्रावधान को दावा प्रकरणों पर लागू किया गया है। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के विशिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और उक्त न्यायाधिकरणों को व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय घोषित नहीं किया गया है और व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 3 के अनुसार उक्त न्यायाधिकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रयोजनों के लिए न्यायालयों की संरचना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

उपर्युक्त चर्चाओं से यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं हैं, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित अधिनिर्णय, यद्यपि अपील योग्य नहीं है,

लेकिन व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के लिए अध्यधीन नहीं होगा।

तदनुसार, पुनरीक्षण मान्य नहीं हैं, इसलिए इसे प्रारंभिक स्तर पर ही ख़ारिज किया जाता है। आवेदक को यदि सलाह दी जाए तो वह विधि के अधीन उपलब्ध उचित उपाय अपना सकता है। उपर्युक्त आदेश के आलोक में शीघ्र सुनवाई के लिए सभी लंबित अंतर्वर्ती आवेदन और स्थगन प्रदान करने के लिए विविध (सिविल) याचिकाओं को निराकृत किया जाता है।

सही /–

वी.के.श्रीवास्तव

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated by Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]